भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 90*

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण

***90. श्री राम शिरोमणि वर्मा:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मानसून के दौरान उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे बाढ़-प्रभावित जिलों में जापानी इंसेफलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, डेंगू, मलेरिया और जल-जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है और यदि हां, इन रोगों के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या इन जिलों में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, जीवन रक्षक दवाओं, आधुनिक उपकरणों और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे जिलों में इन रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण, जन-जागरूकता, सचल चिकित्सा इकाइयों और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कोई विशेष कार्य-योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों सहित आकांक्षी और बाढ़-प्रभावित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ करने के लिए कोई विशेष पैकेज या समयबद्ध कार्य-योजना लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

24 जुलाई, 2026 के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ग) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर, उनकी समग्र संसाधन सीमा के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है।

जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई), एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, डेंगू, मलेरिया तथा मानसून के दौरान होने वाले जलजनित रोगों जैसे तीव्र डायरिया, हैजा, पेचिश, हेपेटाइटिस-ए एवं ई तथा लेप्टोस्पायरोसिस के बढ़ते जोखिम को देखते हुए भारत सरकार मानसून आरम्भ होने से पूर्व ही आवश्यक तैयारियाँ प्रारम्भ कर देती है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से बाढ़-प्रवण जिलों में मानसून के दौरान इन रोगों की निरंतर निगरानी की जाती है।

उत्तर प्रदेश सहित देश में इन रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

- रोग-प्रबंधन में सक्रिय, निष्क्रिय एवं सेंटीनेल निगरानी के माध्यम से शीघ्र रोग पहचान, समुचित एवं प्रभावी उपचार, रेफरल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, महामारी के प्रति तैयारी तथा त्वरित अनुक्रिया सुनिश्चित की जाती है।
- एकीकृत वाहक प्रबंधन के अंतर्गत चयनित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इनडोर रेजिडुअल स्प्रे, लार्वा खाने वाली मछलियों का उपयोग, शहरी क्षेत्रों में जैव-लार्वीसाइड सहित लार्वा नियंत्रण उपाय तथा मच्छरों के प्रजनन स्रोतों को कम करने हेतु लघु पर्यावरणीय अभियांत्रिकी उपाय लागू किए जाते हैं।
- संबद्ध मंत्रालयों के साथ उच्च स्तरीय समन्वय, मानव संसाधन विकास हेतु क्षमता निर्माण तथा नीतिगत बदलाव के माध्यम से विभिन्न सेक्टरों के बीच बेहतर तालमेल को बढ़ावा दिया जाता है।
- सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से जन-जागरूकता बढ़ाने और सोशल मीडिया, रेडियो, समाचार-पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से जनस्वास्थ्य संबंधी संदेशों का व्यापक प्रसार किया जाता है।
- तत्समय निगरानी हेतु राज्यों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल पर आंकड़े दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- मलेरिया एवं अन्य वाहक जनित रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार राज्य स्वास्थ्य विभागों एवं शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर स्वच्छता में सुधार, मच्छर नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय सहयोग कर रही है।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सदस्यों तथा धार्मिक एवं सामुदायिक नेतृत्व कर्ताओं की भागीदारी के माध्यम से समुदाय

को लामबंद करने और निवारक उपायों को बढ़ावा देने हेतु अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित किया गया है।

- राज्यों को रोग प्रबंधन, रोकथाम एवं नियंत्रण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं।
- डेंगू की निगरानी एवं निःशुल्क जांच हेतु देशभर में 887 सेंटीनेल सर्विलांस अस्पताल (एसएसएच) तथा 27 एपेक्स रेफरल प्रयोगशालाएँ (एआरएल) चिन्हित हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश में 86 सेंटीनेल सर्विलांस अस्पताल तथा 3 एपेक्स रेफरल प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। श्रावस्ती एवं बलरामपुर जिलों में एक-एक सेंटीनेल सर्विलांस अस्पताल स्थापित किया गया है। भारत सरकार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के माध्यम से सभी अभिज्ञात प्रयोगशालाओं को आईजीएम परीक्षण किट उपलब्ध कराती है।
- जमीनी स्तर पर जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों, सामुदायिक नेतृत्व कर्ताओं तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- मलेरिया के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने एवं उसके प्रसार को रोकने हेतु देशभर के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में आवश्यक मात्रा में नैदानिक परीक्षण किटों तथा मलेरिया-रोधी औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- प्रकोप नियंत्रण सहित रोग नियंत्रण, रोकथाम, उपचार संबंधी उपायों को जारी रखने के लिए उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से परामर्शियाँ जारी की जाती हैं।
- "स्टॉप डायरिया अभियान" पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया से होने वाली बीमारी एवं मृत्यु-दर में कमी लाने हेतु संचालित किया जाता है। यह अभियान सुरक्षा, रोकथाम एवं उपचार कार्यनीति पर आधारित है तथा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरए) एवं जिंक अनुपूरण के माध्यम से डायरिया के शीघ्र उपचार को प्रोत्साहित करता है।

(ख) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने तथा स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रोत्साहन एवं मानदेय प्रदान किए जाते हैं—

- ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है।
- एनएचएम के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने तथा स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हेतु चिकित्सकों के बहु-कौशल को प्रोत्साहित किया जाता है।
- निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य संस्थानों के सभी स्तरों पर निःशुल्क पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी के लिए उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में 14, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 63, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 97, उप-जिला अस्पतालों में 111 तथा जिला अस्पतालों में 134 प्रकार की जांच सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- जन स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों के जेबी खर्च को कम करने तथा आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निःशुल्क औषधि सेवा पहल की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर-उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 113, आयुष्मान आरोग्य मंदिर-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 179, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 301, उप-जिला अस्पतालों में 318 तथा जिला अस्पतालों में 381 आवश्यक औषधियों की उपलब्धता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित देशभर में रोगियों के परिवहन एवं आपातकालीन उपचार सेवाओं के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, रोगी परिवहन वाहन, नौका एम्बुलेंस, बाइक आपातकालीन अनुक्रिया वाहन तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट्स आदि की सहायता प्रदान की जाती है।
